न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :— अनिलकुमार जैन

प्रकरण सख्याः—25 / 20 निर्णय दिनांकः—31.12.2020

1 श्री कारूलाल पिता साकला दर्जी जाति दर्जी उम्र वयस्क निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपुर राजस्थान।
2 श्री मोहनलाल पिता साकला दर्जी जाति दर्जी उम्र वयस्क निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपुर राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1 श्री मान तहसीलदार साहब महोदयजी सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।

प्रतिवादी

वाद अर्न्तगत धारा 88, 188 व 209 राजस्थानी काश्तकारी

अधिनियम व धारा 136 भु राजस्व अधिनियम व सपठित धारा 212 जाप्ता दीवानी

अधिवक्ता वादीः— कर्तव्य शाह उपस्थित

अधिवक्ता प्रतिवादीः—

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादीगण गांव पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान के स्थायी निवासी होकर सगे भाई है। मेहनत मजदुरी व कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते है। वादीगण के कब्जे काश्त की रिकॉर्डडेड खातेदारी आराजी ग्राम पीठ में खाता संख्या 812, खसरा नम्बर कमशः 2232, 3597 / 1682 खेत किता 2 कुल रकबा 0.4856 हैक्टेयर होकर स्थित है। वर्तमान में कब्जा मौके पर वादीगण का यथावत रूप से बना हुआ है। वादीगण ने अपने कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजी पर केसीसी ऋण लेने हेतु वादीगण ने खाते की जमाबंदी नकल निकलवायी तो पता चला की हाल जमाबन्दी में वादीगण के नाम कारूलाल पिता हाकला, मोहनलाल पिता हाकला नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जबकि कारूलाल पिता हाकला, मोहनलाल पिता हाकला नाम का कोई पुरूष नहीं है। वादीगण के पिता साकला की मृत्यु के पश्चात कृषि भुमि के खोले गए नामान्तरण में वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारी से मिलकर खोले गए नामान्तरणकरण की प्रति परत निकलवाई तो पता चला की नामांतरणकरण के समय राजस्व कर्मचारीयों ने भूलवंश वादीगण के पिता का नाम साकला अंकित नहीं कर हाकला नाम दर्ज कर दिया है। जबकि कारूलाल पिता हाकला, मोहनलाल पिता हाकला का कोई पुरूष नहीं हैं।

कमशः पेज 2 पर

ऐसे में वादीगण ने राजस्व कर्मचारी से मिलकर राजस्व रेकोर्ड दुरस्त करने की बात कही लेकिन प्रतिवादी व राजस्व कर्मचारी ने अब तक कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। जिस पर राजस्व कर्मचारी से निवेदन कर रिकॉर्ड दूरस्त करने की बात की लेकिन रिकॉर्ड दूरस्त नहीं किया गया। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। प्रतिवादी को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जाना आवश्यक हैकि प्रतिवादी वादीगण को मात्र राजस्व कर्मचारीयों की गलती के आधार पर वादग्रस्त आराजी ग्राम पीठ में खाता संख्या 812, खसरा नम्बर क्रमशः 2232, 3597/1682 खेत किता 2 कुल रकबा 0.4856 हैक्टेयर से बेदखल न करे। राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त कर हाल जमाबंदी में जरीये इन्द्राज दुरस्ती ग्राम पीठ में खाता संख्या 812, खसरा नम्बर क्रमशः 2232, 3597/1682 खेत किता 2 कुल रकबा 0.4856 हैक्टेयर में वादीगण का नाम दर्ज कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इस प्रकार वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर उक्त दाद चाही है। जिसके बाद वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलबी हेतु नोटिस जारी किए गए। जिस पर दिनांक 3.11.2020 को प्रतिवादी तहसीलदार से पटवारी पीठ को जांच रिपोर्ट भिजवाने पत्र भेजा गया। जिसमें वादीगण के पिता का नाम गलती से हाकला दर्ज कर दिया गया है। ऐसे में वादीगण के पिता का नाम साकला राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जावे। प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में पेशी दिनांक 10.11.2020 को भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी तहसीलदार का जवाब बंद कर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। विद्वान अभिभाषक ने बहस कर निवेदन किया उक्त वादग्रस्त भुमि वादीगण के कब्जे काश्त की रिकॉर्डडेड खातेदारी आराजी ग्राम पीठ में खाता संख्या 812, खसरा नम्बर क्रमशः 2232, 3597/1682 खेत किता 2 कुल रकबा 0.4856 हैक्टेयर होकर स्थित है। वर्तमान में कब्जा मौके पर वादीगण का यथावत रूप से बना हुआ है। वादीगण ने अपने कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजी पर केसीसी ऋण लेने हेतु वादीगण ने खाते की जमाबंदी नकल निकलवायी तो पता चला की हाल जमाबन्दी में वादीगण के नाम कारूलाल पिता हाकला, मोहनलाल पिता हाकला नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जबकि कारूलाल पिता हाकला, मोहनलाल पिता हाकला नाम का कोई पुरूष नहीं है। ऐसे में राजस्व रिकार्ड में हाकला के स्थान पर साकला नाम दर्ज कर संशोधित किया जावे। ऐसे वाद स्वीकार कर डिक्री किया जावे। हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज हाल जमाबंदी की प्रमाणित प्रति व पत्रावली का अवलोकन किया। जिसमें वादीगण के कब्जे काश्त की रिकॉर्डडेड खातेदारी आराजी ग्राम पीठ में खाता संख्या 812, खसरा नम्बर क्रमशः 2232, 3597/1682 खेत किता 2 कुल रकबा 0.4856 हैक्टेयर में वादीगण के पिता का नाम राजस्व कर्मचारीयों द्वारा साकला के स्थान पर हाकला नाम दर्ज कर दिया गया है। ऐसे में वादीगण के पिता का साकला दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझता है।

क्रमशः पेज 3 पर

आदेश

प्रकरण में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम पीठ में खाता संख्या 812, खसरा नम्बर क्रमशः 2232, 3597/1682 खेत किता 2 कुल रकबा 0.4856 हैक्टेयर होकर स्थित है। वादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात नामान्तरण में वादीगण का नाम तो दर्ज किया गया है। लेकिन वादीगण के पिता का नाम साकला के स्थान पर हाकला नाम दर्ज कर दिया है। वादीगण के पिता का नाम साकला दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

अखिल कुमार जैन
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 31.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अखिल कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा